दिसम्बर 2022

पैरवी संवाद

पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव्स फ़ॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज़ इन इण्डिया

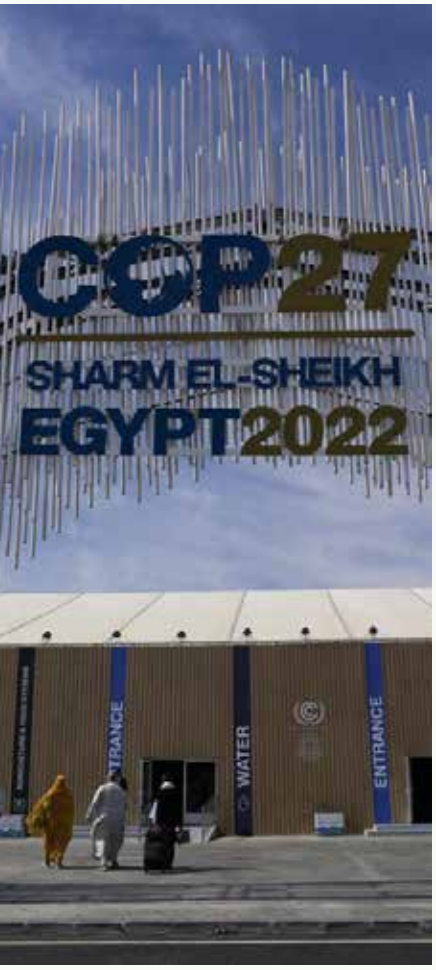

जलवायु साम्राज्यवाद को संबोधित करना ज़रूरी

अजय झा

मुझे लगता है कि यह कॉप 27 इस एहसास के बहुत करीब है कि हम अभी भी शताब्दी के अंत तक तापमान में तीन डिग्री से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कगार पर हैं। यह आईपीसीसी आपको नहीं बताएगी लेकिन अगर आप वैज्ञानिक आकलन देखें, जो कहने के लिए गैर-राजनीतिक और बिना किसी समझौते के हैं, तो हम अभी भी सदी के अंत तक तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर हैं। नवीनतम यूएनईपी रिपोर्ट हमें बताती है कि यदि सभी देश अपने सभी वादों को पूरा करते हैं, जिसमें उनकी शुद्ध शून्य प्रतिबद्धताएं या अब तक की प्रतिज्ञाएं शामिल हैं, तो सदी के अंत तक तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। पर हम जानते हैं कि ये देश अपने वादों को पूरा करने में कितने अच्छे हैं। एक बहुत छोटा उदाहरण 2009 का वादा है जो जी20 ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने के लिए किया था लेकिन जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में वृद्धि हुई है। कई देशों ने अपनी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को 2-3 या 5 प्रतिशत नहीं, बल्कि 48 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तक बढ़ाया है। 2020 की तुलना में 2021 में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी दोगुनी हो गई। उनका कहना है कि 'रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण हम एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, हम कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं और हमें अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है।' हमें कोयले, तेल या गैस से प्राप्त करने की कीमत पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या यह वही नहीं हैं जो हम पिछले 30 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हमें ऊर्जा चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए विकास की जगह चाहिए! ऐसा लगता है कि हम एक दायरे में घूम रहे हैं। बातचीत का चक्र पूरा हो चुका है और हम गोल-गोल घूम रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी ठोस नहीं है।

खाद्य संप्रभुता और कृषि के बारे में कॉप की चर्चाओं में बोलना एक प्रकार से निरर्थक चिल्लाना है। कोई भी खाद्य संप्रभुता के बारे में बात नहीं करता है और यह सोचना बिल्कुल असंभव है कि हम इस तरह की बातचीत प्रक्रिया से खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति पर एफएओ की नवीनतम रिपोर्ट, जिसे जुलाई में प्रकाशित किया गया था, के अनुसार पिछले वर्ष 1.2 मिलियन लोग मध्यम और गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। 11 प्रतिशत आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करती है। वर्ष 2020 से मध्यम खाद्य सुरक्षा लगभग समान बनी हुई है, जबकि कोविड के प्रभाव और युद्ध के कारण आर्थिक झटके के प्रभाव से गंभीर खाद्य असुरक्षा कई गुना बढ़ गई है। अकेले महामारी ने 150,000,000 से अधिक लोगों को खाद्य असुरक्षा में भेज दिया और यह 150 मिलियन लोग महामारी के कारण खाद्य असुरक्षा के पूर्ण प्रभाव को नहीं दिखाते। इस 150 मिलियन में महामारी में खोई गई नौकरियों का कोई हिसाब नहीं है। इसलिए यदि आप देखें तो स्पष्ट रूप से खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या इससे पांच गुना या उससे भी अधिक होगी। विश्व की एक तिहाई महिलाएं एनीमिया का सामना करती हैं और 2012 के बाद से कोई सुधार नहीं हुआ है। 2015 का एक साल छोड़ दें तो पेरिस समझौते के बाद से खाद्य असुरक्षा लगभग हर

2015 का एक साल छोड़ दें तो पेरिस समझौते के बाद से खाद्य असुरक्षा लगभग हर साल बढ़ी है। 2030 में भी, सबसे अच्छे आशावादी परिदृश्य में, 670 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा के शिकार होंगे।

साल बढ़ी है। यदि अवरुद्ध विकास, मोटापे के शिकार आदि आंकड़ों को संकलित करके देखें तो 34 प्रतिशत बच्चे आज कुपोषित हैं। और 2030 में भी, सबसे अच्छे आशावादी परिदृश्य में, 670 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा के शिकार होंगे, और यह संख्या लगभग उतनी ही है जितनी 2015 में थी जब हमने पेरिस समझौते पर बातचीत की थी। इसलिए तमाम हो-हल्ला, सारी ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और कृषि को संबोधित करने की सभी बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद हम देखते हैं कि कोई प्रगति नहीं हुई है। इस खाद्य असुरक्षा के तीन मूल कारण संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और भोजन में असंतुलित निवेश (सब्सिडी) हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसने पिछले साल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतम संघर्ष देखा है। यह केवल रूस और यूक्रेन की बात नहीं है, इस वक्त दुनियाभर में 700 से अधिक संघर्ष चल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण चरम जलवायु है और इसके बारे में बहुत बात हो ही चुकी है। लेकिन इस साल केवल छः दिनों की भीषण गर्म हवा के कारण भारत और पाकिस्तान में गेहूं का उत्पादन एक तिहाई कम हो गया था। यह गर्म हवाऐं मार्च की शुरुआत में थीं जब हम सर्दी से गर्मी ओर बढ़ रहे होते हैं। हमारे यहां इतनी जल्दी लू कभी नहीं चलती थी। गर्म हवाओं ने भारत और पाकिस्तान में 100 से अधिक लोगों की जान ले ली। केवल एशिया ही नहीं, अफ्रीका में मोजाम्बिक, युगांडा, चाड जैसे देशों में सूखे और अकाल के कारण 2700 लोग मारे गए। इथियोपिया में ही सूखे और अकाल के कारण आठ मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। फिर आप अफ्रीका, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ देखते हैं। कई देशों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन्हे इस तरह की बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1 प्रतिशत योगदान है। वहां 1700 से अधिक लोग मारे गए, 30 मिलियन लोग प्रभावित हुए, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान पूरे साल में उतना कार्बन उत्सर्जित करता है जितना अमेरिका 16 दिन में करता है। ऐसी स्थिति में उत्सर्जकों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब तक हम यह नहीं देखते कि यह केवल कृषि और भोजन और ऊर्जा और परिवहन और आवास के बारे में नहीं है, तब तक जवाबदेही होनी चाहिए।

तीसरा महत्वपूर्ण कारण निवेश में असमानता है। कृषि में बहुत निवेश है। जबकि हम 2009 (कोपेनहेगन) से 100 अरब जलवायु वित्त के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर साल कृषि में लगभग 700 अरब निवेश होता है, लेकिन इसमें से अधिकांश विकासशील देशों में है। लगभग 550 बिलियन अकेले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों में और लगभग 540 बिलियन ओईसीडी में अमीर किसानों को प्रत्यक्ष समर्थन है, जो हमारे किसानों और हमारे निर्यात को इन देशों तक पहुँचने से रोकता है और बाजार को बहुत विकृत करता है। तो हम इसका समाधान कैसे करें? और ये ऐसे समाधान हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए अगर हम कॉर्पोरेट कब्जा और कॉर्पोरेट केन्द्रीकरण के बारे में बात करना चाहते हैं। चार बड़ी कंपनियाँ मोनसेंटो प्लस, बायर प्लस, केम चाइना और सिंजेन्टा व बीएएसएफ, और इनमें यदि दो और कॉर्टिवा और लीमाग्रेन जोड लें, तो 70 प्रतिशत एग्रोकेमिकल्स और बीज को नियंत्रित करते हैं। जब तक हम इस प्रकार के संकेंद्रणों पर बात नहीं करते हैं, तब तक इस मुद्दे को संबोधित करना बिल्कुल असंभव है क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकतम निवेश पर भी कब्जा कर लेते हैं।

अंतिम लेकिन सबसे बड़ा कारण और खाद्य सुरक्षा और कृषि पर सबसे बड़ा खतरा भूमि है। पिछले सप्ताह हमारे सामने एक भूमि अंतर रिपोर्ट थी और यह कहती है कि जिन देशों ने नेट जीरो तक पहुँचने और इसे प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से संबोधित करने की प्रतिबद्धता जताई है, उन्हें नेट जीरो तक पहुँचने के लिए 1.2 बिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें कि 1.2 बिलियन हेक्टेयर दुनिया की सारी कृषि योग्य भूमि के बराबर है और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के बराबर है। हम इस प्रकार के झूठे समाधानों पर अपनी आशा लगा रहे हैं। कॉर्पोरेट केन्द्रीकरण का एक बहुत छोटा उदाहरण है नेस्ले। नेस्ले सबसे बड़ी और सबसे खराब कृषि व्यवसाय कंपनी है, जिसका उत्सर्जन अपने गृहदेश स्विटजरलैंड से दोगुना है। स्विटजरलैंड में हर साल 46 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन होता है जबकि नेस्ले में 72 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वे इसे प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से संबोधित करने की योजना बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें हर साल 4.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इतालवी तेल दिग्गज ऐनी (Eni) को 8 मिलियन हेक्टेयर और शेल को भी 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। तो इन तीन कंपनियों को मिलकर 20 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जो कि मलेशिया की कुल कृषि योग्य भूमि के बराबर है। मुझे लगता है कि लोग जानते हैं कि इस तरह के प्रकृति आधारित समाधानों के प्रभाव क्या हैं और इस सवाल से भी परिचित हैं कि इन प्रकृति आधारित समाधानों में लोग कहां हैं?

हम कृषि और भोजन के बारे में, गरीबी के बारे में, व्यापार के बारे में, आवास के बारे में, ऊर्जा के बारे में इन सवालों को अलग खांचों में रखकर संबोधित नहीं कर सकते। जब तक हम साम्राज्यवाद को संबोधित नहीं करते, जो एक निरंतर साम्राज्यवाद और जलवायु साम्राज्यवाद है, हमारे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को देखें- अमेरिका ने 1850 से 2020 तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का 24.68 प्रतिशत उत्सर्जित किया और वे 1850 से 2030 के समय के पैमाने में कितना उत्सर्जित करेंगे, 22.8 प्रतिशत। यानी वे अपने उत्सर्जन में 2 प्रतिशत से भी कम कटौती कर रहे हैं। यूरोपीय संघ 17 प्रतिशत से 15.16 प्रतिशत, यानी उत्सर्जन का लगभग 2 प्रतिशत 1850 से 2030 तक कम कर रहे हैं। ब्रिटेन 4.25 प्रतिशत से 3.63 प्रतिशत तक। और बाकी दुनिया, उन्हें औपनिवेशिक काल, 1850 से 2030 के औद्योगीकरण काल से क्या मिलता है? उन्होंने 1850 से 2020 के दौरान 23 प्रतिशत उत्सर्जन किया और वे 1850 से 2030 तक 24.33 प्रतिशत उत्सर्जित करेंगे। ■

पुलिस हिरासत में हत्याएं रोकने में भारत असफल

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में किये गए अपराधों के बारे में बार-बार यह कहा है कि पुलिस के खिलाफ सबूत पेश करना इसलिए कठिन है क्योंकि पुलिस यह मानती है कि वे ''भाईचारे में बंधे हैं।'' सरकारों और न्यायालयों को जिम्मेदार लोगों को बचाने की पुलिस की इस प्रवृति से सख्ती से निपटना होगा।

रिपोर्टः ह्यूमन राइट्स वाच

भारत में पुलिस हिरासत में आपराधिक अभियुक्तों की अक्सर मौत हो जाती है। इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान के लिए भारतीय अधिकारियों ने, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शामिल है, ऐसी विस्तृत नियमावली बनाई है जो पुलिस द्वारा यातना और दुर्व्यवहार को रोकने में कारगर हो सके और साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को सजा मिल सके। लेकिन, भारतीय पुलिस अभी भी संदिग्धों को सजा देने, उनसे जानकारी हासिल करने या अपराध कबूल करवाने के लिए उन्हें यातना देती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो के अनुसार, सन 2010 से 2015 के बीच पुलिस हिरासत में 591 लोगों की मौत हुई। इनमें से अधिकांश मौतों को पुलिस आत्महत्या, बीमारी या प्राकृतिक कारण बताती है। उदाहरण के लिए, सन 2015 में भारतीय अधिकारियों के अनुसार कुल 97 हिरासत में मौतें हुईं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें मात्र 6 मौतें पुलिस द्वारा शारीरिक प्रताड़ना के कारण हुईं, 34 मौतें आत्महत्या के कारण, 11 बीमारी ही वजह से, 9 प्राकृतिक मौत और 12 मौतें इलाज के दौरान या अस्पताल में हुईं। हालाँकि इनमें से बहुत से मामलों में परिजनों ने आरोप लगाया कि यह मौतें यातना के कारण हुई थीं।

यद्यपि कुछ मामलों में अदालतों, मानवाधिकार आयोगों या अन्य प्राधिकारों ने जांच के आदेश दिए, ह्यूमन राइट्स वाच ने सन 2010 से 2015 के बीच पुलिस हिरासत में मौत का एक भी मामला ऐसा नहीं पाया जहाँ पुलिस अधिकारी को सजा दी गयी हो। सन 2016 में मुंबई में 4 पुलिसकर्मियों को बीस वर्षीय अभियुक्त की सन 2013 में हिरासत में मौत के लिए सजा दी गयी।

यह रिपोर्ट भारत में हिरासत में मौतों के मामलों में लगातार दंडमुक्ति के कारणों को भी बारीकी से जांचती है, और ऐसे उपाय सुझाती है जिन पर अधिकारीगण अमल कर सकते हैं ताकि इस समस्या पर विराम लगाया जा सके। इस रिपोर्ट में समस्या के दायरे को समझने के लिए सन 2009 से 2015 के बीच हिरासत में 17 मौतों की ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा गहन जांच-पड़ताल के विवरण, भारतीय संगठनों के शोध और पीड़ित परिजनों, गवाह, न्याय विशेषज्ञ और पुलिस अफसरों के 70 से अधिक साक्षात्कार शामिल हैं जो ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा लिए गए हैं।

आखिरकार, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार यह दर्शाते हैं कि भारत की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें जवाबदेही के तंत्र को लागू करने में असफल रही हैं। स्पष्ट नियमावली के बावजूद, सख्ती से जांच करने में अधिकारीगण आम तौर पर असफल रहे हैं, और गिरफ्तार व्यक्ति के साथ यातना और दुर्व्यवहार में लिप्त पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने में भी असफल रहते हैं।

पुलिस जांच दल केवल लिप्त पुलिस अफसरों के बयान के आधार पर ही अक्सर इन मामलों को बंद कर देते हैं। दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, जो लम्बे समय से पुलिस सुधारों के लिए अभियान चलाता रहा है, की कार्यकारी निदेशक माजा दारूवाला का कहना है कि हालांकि पुलिस इस बात से इंकार करती है कि वह दुर्व्यवहार में शामिल पुलिस अफसरों को बचाने का प्रयास करती है, फिर भी जवाबदेही और निगरानी दोनों के ही बीच बड़ी खाई है, ''एक संगठन के रूप में पुलिस को यह तय करना है कि पुलिस की करतूतों, गैर-कानूनी कार्रवाइयों और हत्या जैसी वारदात को ढंकना ही क्या उनकी कार्यकुशलता है।''

इस रिपोर्ट में दर्ज किये गए अधिकांश मामले ऐसे हैं जहाँ परिजनों ने वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मदद से न्याय की अपेक्षा की है, और जिन मामलों में पुलिस और मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य सम्बंधित दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं इनमें से कई मामले अभी भी न्यायालयों में लंबित हैं। इनमें से कई मामलों में न्यायालयों द्वारा स्वतंत्र जांच के आदेश दिए गए, जिनमें शारीरिक दुर्व्यवहार के अकाट्य सबूतों के अलावा निर्धारित प्रक्रिया के गंभीर उल्लंघन स्पष्ट रूप से उजागर हुए।

सभी 17 मामलों में, पुलिस ने गिरफ्तारी के सही

नियमों का पालन नहीं किया - जिसमें गिरफ्तारी का दस्तावेजीकरण, परिजनों को सूचित करना, मेडिकल परीक्षण कराना, या 24 घंटों के भीतर अभियुक्त को दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना शामिल हैं - जिसके कारण दुर्व्यवहार झेलने के लिए अभियुक्त और भी असुरक्षित हो गया, और इसके चलते ही शायद पुलिस को यकीन हो गया कि किसी भी दुर्व्यवहार को ढंका जा सकता है। इनमें से अधिकांश मामलों में, जांच अधिकारी, खासकर पुलिस, ऐसे कदम उठाने में विफल रही जिनसे इन मौतों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलती।

गिरफ्तारी की उचित प्रक्रिया के पालन में विफलता

आमतौर पर यातना की सम्भावना अभियुक्त को पहली बार हिरासत में लेने के समय ही बनती है, इसीलिए यातना और मौत को रोकने के लिए गिरफ्तारी सम्बंधित प्रक्रिया का पालन करना अहम् है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद में पुलिस ने बी. जनार्धन को 2 अगस्त, 2009 को हिरासत में लेने के बाद रजिस्टर में उसकी गिरफ्तारी दर्ज नहीं की। परिजनों का कहना है कि उन्होंने जनार्धन को 3 अगस्त को पुलिस हिरासत में देखा था जब चार पुलिसकर्मी उसे कुछ समय के लिए उसके घर लेकर आये थे। उसे हथकड़ी लगी हुई थी, और अफसर उसे लगातार पीट रहे थे। 4 अगस्त, 2009 को पुलिस हिरासत में जनार्धन की मौत हो गयी। पुलिस ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार कर दिया और परिजनों से कहा कि "हम क्या कर सकते थे? वह तो हृदयगति रुकने से मर गया।" लेकिन जनार्धन के भाई सदानंद ने कहा कि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे जो स्पष्ट रूप से पुलिस की पिटाई के कारण थे। पुलिस ने पहले तो इनकार किया कि जनार्धन दो दिनों तक गैरकानूनी तौर से हिरासत में था, लेकिन विरोध के चलते, पुलिस मुखिया ने स्वीकार किया कि अफसरों द्वारा लापरवाही हुई है और जनार्धन को पुलिस थाने में लाया जाना चाहिए था, और उसकी गिरफ्तारी को कानूनन दर्ज किया जाना चाहिए था ना कि उसे तलाशी अभियान में लेकर जाना चाहिए था।

जैसा कि जनार्धन के मामले में हुआ, भारतीय पुलिस अक्सर दो दशक पहले सन 1997 के डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल मुकदमे में हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नियमावली को नजरंदाज करती है। अब जबकि इस नियमावली को संशोधित आपराधिक दंड संहिता में शामिल कर लिया गया है, किसी को भी हिरासत में लेते समय पुलिस को नियमानुसार अपनी पहचान बतानी होगी, एक मेमो बनाना होगा जिसमें हिरासत में लिए जाने की तारीख और समय दर्ज हो, जिस पर एक स्वतंत्र गवाह द्वारा दस्तखत किया जायेगा और हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति का प्रतिहस्ताक्षर भी होना जरूरी है। और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके नजदीकी परिजन को गिरफ्तारी के बारे में और हिरासत में रखे जाने के स्थान की जानकारी मिले।

नियमानुसार, हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण करवाना होगा, जिसमें डॉक्टर को पहले से लगी चोटों का विवरण देना होगा ताकि नयी चोटों से हिरासत में पुलिस दुर्व्यवहार का पता लग जाये। पुलिस दुर्व्यवहार से बचने के लिए यह प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अगले 24 घंटों के भीतर एक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाए। दंडाधिकारियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र लांघने से रोकें, इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी से सम्बंधित दस्तावेजों का बारीकी से मुआयना करना चाहिए और अभियुक्त के कुशल-क्षेम को सुनिश्चित करते हुए उससे सीधे-सीधे सवाल-जवाब करना चाहिए। व्यवहार में इन सुरक्षा कवचों के जरिये हिरासत में क्रूर यातनाओं को नहीं रोका जा सका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सन 2015 में हिरासत में 97 मौतों में से 67 मामलों में पुलिस अभियुक्त को कानून के अनुसार 24 घंटों के अन्दर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने में या तो विफल रही है या गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के भीतर ही अभियुक्त के मौत हो गई है।

लेकिन आंकड़े यह भी बताते हैं कि नियमों का पालन कर दंडाधिकारी के समक्ष अभियुक्त को पेश करने और मेडिकल परीक्षण कराने से भी यह जरूरी नहीं है कि अभियुक्त को यातना नहीं दी जाएगी। अभियुक्त यह कहने से डरते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और कि चिकित्साकर्मियों ने पेशेवर या निष्पक्ष तरीके अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। "पुलिस अक्सर यह स्पष्टीकरण देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति या तो भागने की या फरार होने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वह घायल हो गया। यहाँ तक कि अभियुक्त भी कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वापस उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया जा सकता है," जैसा कि एक दंडाधिकारी ने ह्यूमन राइट्स वाच को बताया।

गिरफ्तारी और हिरासत सम्बन्धी नियमों के पालन में पुलिस की विफलता के चलते अभियुक्त के साथ दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है। हिरासत सम्बन्धी नियमों को धता बताने के लिए पुलिस कई हथकंडे अपनाती है। तमिलनाडु में एक दंडाधिकारी ने बताया, "पुलिस के पास पुलिस प्रक्रिया से सम्बंधित खुद की नियमावली है। वे आपराधिक दंड संहिता का पालन नहीं करते हैं।"

पुलिस को जवाबदेह ठहराने में विफलता

भारतीय कानून के अनुसार यह जरूरी है कि हिरासत में हरेक मौत की जांच एक न्यायिक दंडाधिकारी करे। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, और इसकी जांच ऐसे थाना या एजेंसी द्वारा की जाएगी जो इस घटना में संलिप्त न हो। हिरासत में मौत के हरेक मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देनी पड़ती है। दंडाधिकारी के जांच के निष्कर्ष और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को भी पुलिस द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपना जरूरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियमानुसार शव-परीक्षण की वीडियोग्राफी करनी होगी और एक मॉडल प्रपत्र में शव-परीक्षण की रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

ह्यूमन राइट्स वाच के शोध, अदालती फैसले और मीडिया की खबरें दर्शाती हैं कि इन कदमों को अक्सर नजरंदाज किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 2015 में हिरासत में हुई कुल 97 मौतों में से मात्र 31 में ही न्यायिक जांच की गयी थी। इनमें से 26 मामलों में मृतक का शव-परीक्षण तक नहीं किया गया था। कुछ राज्यों में, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जांच कराई गई न कि न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, कार्यकारी दंडाधिकारी पुलिस की तरह ही सरकार की कार्यपालिका का अंग होता है, और इसलिए वह स्वतन्त्र नहीं होता और उस पर पक्षपातपूर्ण काम करने का दवाब रहता है।

ऐसे गलत कामों की आन्तरिक विभागीय जांचों में बमुश्किल पुलिस को दोषी पाया जाता है। पुलिस भी संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने में या तो देरी कर सकती है या उसका विरोध। सन 2015 में हिरासत में कुल 97 मौतों में से केवल 33 में ही पुलिस ने अपने सह-पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं। 2014 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे सत्यब्रत पाल के अनुसार - "पुलिस द्वारा आन्तरिक जांच का पूरा मकसद लीपा-पोती होता है, इसलिए वे जानबूझकर ऐसे तथ्यों को नजरंदाज करते हैं जिनसे सच्चाई का पता लग सकता है... पुलिस जांच की कीमत मात्र उस कागज के पन्ने की तरह होती है जिस पर उसे लिखा जाता है।"

15 अप्रैल, 2012 में उत्तर प्रदेश राज्य में जब श्यामू सिंह की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, तो पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन उसके भाई ने बताया, जो उसी के साथ गिरफ्तार हुआ था, कि हिरासत में लेने के बाद अंडरवियर को छोड़ उन दोनों के सभी कपड़े उतार दिए गए थे और उन्हें यातना दी गयी थी। श्यामू सिंह की अस्पताल में मौत हो गयी। एक सरसरी आन्तरिक जांच के बाद पुलिस ने यातना से उसकी मौत होने के इलजाम को खारिज कर दिया। राज्य के अपराधिक अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.) ने एक प्राथमिक जांच की और सन 2014 में निष्कर्ष दिया कि श्यामू को यातना देने और उसे जहर देकर मारने के लिए सात पुलिस अफसर जिम्मेदार थे। हालांकि, एक साल बाद सौंपी गयी एक अंतिम जांच रिपोर्ट ने उन सभी सातों को बरी कर दिया गया।

सरकारी डाक्टरों द्वारा पुलिस के दावों का समर्थन करने की प्रवृति हिरासत में हुई मौतों की जिम्मेदारी तय करने की एक बड़ी चुनौती है। शव-परीक्षण और फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्रायः उन मामलों में भी पुलिस के पक्ष का समर्थन करती हैं जहां इसका कोई सुस्पष्ट आधार नहीं होता। 35 साल के जुल्फर शेख की 2 दिसंबर, 2012 में मुंबई के एक पुलिस थाने में मौत हो गई। शव-परीक्षा में 21 बाह्य चोटें पाई गयीं फिर भी रिपोर्ट में बताया गया कि ये चोटें 'मौत के लिए पर्याप्त कारण' नहीं थे। डाक्टरों के एक दल ने मौत का कारण मेनिंजाइटिस और 'मस्तिष्क के रक्त-स्राव' को बताया। हालांकि जब सीबीआई ने इस मामले की नई जांच-पड़ताल में महाराष्ट्र के बाहर विशेषज्ञ चिकित्सीय मत लिया तो उसके अनुसार कठोर आघात एवं शारीरिक यातना के फलस्वरुप पक्षाघात के कारण मौत हुई थी। "हिरासत में मौतों के अभियोजन की समस्या यह है कि जैसे ही चिकित्सीय रिपोर्ट आपके खिलाफ चली जाती है, आप मुकदमा हार जाते हैं।" शेख के वकील युगमोहित चौधरी ने बताया, "आपके जीतने की उम्मीद तभी रहती है जब चिकित्सीय रिपोर्ट आपका समर्थन करती हो।"

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में किये गए अपराधों के बारे में बार-बार यह कहा है कि पुलिस के खिलाफ सबूत पेश करना इसलिए कठिन है क्योंकि पुलिस यह मानती है कि वे "भाईचारे में बंधे हैं।" सरकारों और न्यायालयों को जिम्मेदार लोगों को बचाने की पुलिस की इस प्रवृति से सख्ती से निपटना होगा।

राष्ट्रीय और राज्य के मानवाधिकार आयोग हिरासत में मौतों के मामलों में अपनी मुखर भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गवाहों को समन जारी कर सके, सबूतों को पेश करने के आदेश जारी करे, और अफसरों के अभियोजन शुरू करने के लिए सरकार से सिफारिश करे। लेकिन व्यावहारिक तौर पर इसकी सिफारिशें अधिकतर सरकारों को मुआवजा देने या अंतरिम राहत देने तक ही सीमित रही हैं। अप्रैल 2012 से जून 2015 के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पुलिस हिरासत में हुई कुल 432 मौतों के मामले आए। आयोग ने कुल 2 करोड़ 29 लाख 10 हजार रुपये मुआवजे की सिफारिश दी, लेकिन मात्र तीन मामलों में ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा और अभियोजन की सिफारिश किसी एक भी मामले में नहीं की।

पीड़ित परिवारों और गवाहों को डराना-धमकाना

पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में न्याय मांगने वाले पीड़ित परिवार को अक्सर धमकी का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकतर परिवार गरीब और सामाजिक तौर पर हाशिये पर हैं, जो ऐसी परेशानी के प्रति खासतौर पर और भी असुरक्षित होते हैं।

21 वर्षीय सब्जी विक्रेता रजीब मोल्ला को 15 फरवरी, 2014 को पश्चिम बंगाल राज्य में गिरफ्तार किया गया और उसी दिन पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी मौत यातना देने से हुई थी। मोल्ला की पत्नी ने बताया कि जिस समय से उसने इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की, उसी दिन से उस इलाके के दबंग लोग उसे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने लगे थे। एक गैर-सरकारी संगठन बांग्लार मानवाधिकार सुरक्षा मंच (मासूम), जो उसे सहयोग दे रहा था, ने भी रपट की कि उन्हें भी धमकी मिल रही थी और उनके एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर उसके साथ भी मार-पीट की गयी।

भारत ने नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का समर्थन किया है, और यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या निकृष्ट व्यवहार के खिलाफ कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किये हैं। ये दोनों ही यातना और क्रूरता, अमानवीय तथा निकृष्ट व्यवहार या सजा को प्रतिबंधित करते हैं। इन संधियों में प्रावधान है कि अधिकारीगण जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह की प्रतिबद्धता भारत के केन्द्रीय और राज्य के कानूनों में भी दर्शाई गयी है, जो यातना की निंदा करते हैं, और उसके खिलाफ कुछेक प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय भी सुझाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वतंत्रता और मानव गरिमा के संवैधानिक अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये "राज्य तथा राज्य के कर्ताओं द्वारा यातना और हमले के खिलाफ निहित गारंटी हैं।"

कई मामलों के विवरण जो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, उनमें हिरासत में मौतों को रोका जा सकता था यदि पुलिस उन नियमों का पालन करती जो इस तरह के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बनाये गए हैं। और यदि पूरे भारत में ऐसी पुलिस जिन पर अभियुक्तों के साथ दुर्व्यवहार के लिए इलजाम लगाया गया था, उन्हें तत्काल और उचित तरीके से कानूनी दायरे में न्याय की प्रक्रिया में लाया जाता तो शायद पुलिस हिरासत में मौतों और यातना को हमेशा-हमेशा के लिए रोका जा सकता है।

(स्रोत: https://www.hrw.org/hi/report/2022/12/19/297488)

कीटनाशक को कहें 'ना'

दीनबंधु वत्स

कीटनाशकों के कृषि और भोजन, घरों, स्कूलों, बगीचों और सार्वजनिक स्थानों आदि में व्यापक उपयोग से दुनिया भर में लाखों बच्चे और वयस्क इन जहरीले रसायनों के संपर्क में आते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव जीवन भर के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं।

कीटनाशकों का उपयोग कीटों से बचने के लिए किया जाता है। लेकिन इन कीटनाशकों की वजह से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है। इससे पानी की गुणवत्ता, और जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कीटनाशकों की वजह से दुनिया में खेती की जमीन का एक तिहाई हिस्सा खतरे में है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक पर्यावरण आउटलुक (जीईओ) ने कीटनाशक के उपयोग को कम करने का आह्वान किया था और कहा कि खाद्य उत्पादन में कीटनाशकों का उपयोग न केवल जैव विविधता के नुकसान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, बल्कि वायु, ताजे पानी और समुद्री जल का एक प्रमुख प्रदूषक भी है, खासकर जब हम रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के भरोसे खेती को छोड़ देते हैं।

विश्व स्तर पर एशिया में आधे से अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। चीन और तुर्की के बाद भारत विश्व स्तर पर कीटनाशकों के उपयोग में 12वें और एशिया में तीसरे स्थान पर है। कीटनाशक रसायन बनाने वाली कंपनियों के लिये यह एक बाजार है। लेकिन जब किसान अपने खेत में उगने वाले टमाटर, आलू, भिन्डी, गेहूँ, धान और आम जैसे खाद्य पदार्थों पर इन जहरीले रसायनों का छिड़काव करता है तो इसके घातक तत्व फल एवं सब्जियों और उनके बीजों में प्रवेश कर जाते हैं। फिर इन रसायनों की यात्रा मिट्टी, नदी के पानी, वातावरण की हवा में भी जारी रहती है। यह भी कहा जा सकता है कि खतरनाक रसायन सर्वव्यापी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम जो भोजन करते हैं, जो फल खाते हैं, पानी पीते हैं, साँस लेते हैं, इन सभी के जरिये वास्तव में हम अनजाने में ही जहर का सेवन भी करते हैं। यह जहर पसीने, श्वांस, मल या मूत्र के जरिये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता बल्कि शरीर की कोशिकाओं में फैलकर लाइलाज रोगों और भांति-भांति के कैंसर को जन्म देता है। यह हर कोई जानता है कि यदि व्यक्ति आधा लीटर खरपतवारनाशक पी लेता है तो परिणाम केवल एक ही हो सकता है, दर्दनाक और दुखदायी मौत। ठीक यही स्थिति हर व्यक्ति के साथ संभव है, परन्तु कुछ समय बाद, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही खुराक में इस जहर का सेवन नहीं कर रहा है बल्कि हर सेब, हर टमाटर और हर रोटी और सब्जी के साथ जहर की थोड़ी-थोड़ी मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है।

कीटनाशकों के कृषि और भोजन, घरों, स्कूलों, बगीचों और सार्वजनिक स्थानों आदि में व्यापक उपयोग से दुनिया भर में लाखों बच्चे और वयस्क इन जहरीले रसायनों के संपर्क में आते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव जीवन भर के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। बच्चे विशेष रूप से कमजोर होते हैं। कई कारणों से उन्हें वयस्कों की तुलना में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। वयस्कों की तुलना में, बच्चे प्रति यूनिट बॉडी वेट के हिसाब से वयस्कों की तुलना में अधिक सांस लेते हैं, अधिक भोजन करते हैं और अधिक पानी पीते हैं जिससे कीटनाशक-दूषित वातावरण से बच्चों का जोखिम भरा संपर्क और अधिक हो जाता है। बच्चे कीटनाशकों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कम उम्र में कीटनाशकों से संपर्क बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। यह बच्चे के विकसित हो रहे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और अन्य प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकता है। उनके मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। इससे बच्चों में बीमारियों और विकारों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो सकती है। इनमें जन्म दोष, बुद्धि को प्रभावित करने वाली संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं, सीखने की क्षमता और सामाजिक संपर्क में कमी, हार्मोनल व्यवधान, प्रजनन और प्रतिरक्षा प्रणाली में दोष, कैंसर, मोटापा और मधुमेह जैसे उपापचय संबंधी विकार शामिल हैं। कुछ विकार केवल वयस्कों में ही दिखाई दे सकते हैं और कुछ बीमारियां विशेष रूप से कैंसर और प्रजनन प्रणाली में परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है।

पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका (PANNA) की रिपोर्ट के मुताबिक आज के बच्चे एक पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक बीमार हैं। कीटनाशकों के जोखिम का सामाजिक प्रभाव व्यक्तियों से बहुत आगे निकल जाता है। कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता इसे 'मौन महामारी' कह रहे हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि गर्भ में ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशकों के संपर्क में आने वाले बच्चों का आईक्यू कम था। इसलिए बच्चों को जहरीले कीटनाशकों से बचाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे अपनी पूरी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के साथ स्वस्थ जीवन जी सकें।

कीटनाशकों के संपर्क का मार्ग और स्रोत

गर्भावस्था के दौरान या उससे पहले कीटनाशकों के संपर्क में आने वाली महिलाएं इन रसायनों को गर्भ में प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचा सकती हैं। गर्भवती महिलाएं जो खाना खाती हैं वह जोखिम का एक अन्य स्रोत है। माँ के दूध में कई कीटनाशकों के अवशेष पाए गए हैं, जो न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि नवजात बच्चे के लिए भी जोखिम का संकेत देते हैं। अत्यधिक प्रसंस्कृत शिशु आहार और फलों के रस कीटनाशक अवशेषों को केंद्रित कर सकते हैं।

घरों, घर के बगीचे और लॉन, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों जैसे खेल के मैदानों और पार्कों में कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, मच्छर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक फॉगिंग का उपयोग किया जाता है। ऐसी जगहों पर एक्सपोजर आम तौर पर अधिक होता है। भीड़-भाड़ और खराब गुणवत्ता वाले शहरी आवास कीट-संक्रमण से ग्रस्त में रहते हैं। घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक लंबे समय तक बने रहते हैं। बच्चे कीटनाशक वाष्प और कीटनाशक से लदी धूल में सांस लेते हैं और उन चीजों को भी छूते हैं और खेलते हैं जिनमें कीटनाशक अवशेष होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि त्वचा कीटनाशक अवशोषण का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कीटनाशकों का जहर त्वचा के माध्यम से, मुंह से या श्वास, स्प्रे, धूल, या वाष्प द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। कीटनाशक विषाक्तता का प्रारंभिक लक्षण सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मांसपेशी में खिंचाव, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा के चकत्ते, आँख जलना, सतर्कता के समग्र स्तर में बदलाव आदि हैं।

खेती, बच्चे और कीटनाशक

रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल मिट्टी की गुणवत्ता पर विपरीत असर डालता है। धीरे-धीरे मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होते जाते हैं। मिट्टी बंजर हो जाती है। इससे सब्जी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये कीटनाशक दवा सब्जी के पौष्टिक तत्वों को खत्म कर देता है, साथ ही सेहत के लिए हानिकारक भी बन जाता है। गोभी, बैंगन, टमाटर आदि सब्जियों में अलग-अलग तरह के कीट लगते हैं और उनको मारने के लिए अलग दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बुवाई से तैयार होने तक अनेक दवाओं का इस्तेमाल होता है। अगर यह इस्तेमाल होने के सप्ताह भर के अंदर यह सब्जी आप तक पहुंच गई तो यह जानलेवा भी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, विशेषकर कृषि श्रमिकों के बच्चों की स्थिति और भी खराब है। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने वाली या खेतों के पास रहने वाली गर्भवती माताओं में भ्रूण के संपर्क में आने का अधिक खतरा होता है। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी न बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं।

- कीटनाशक छिड़काव के समय एप्रन पहनें। इससे शरीर पर जो सीधा प्रभाव पड़ता है, उससे बच सकते हैं।
- जब दवाओं को मिक्स करें और छिड़काव करें तो दस्ताने जरूर पहनें।
- आंख की सुरक्षा के लिए मास्क या आंखों को पूरी तरह ढकने वाला चश्मा पहनें क्योंकि आंख में दवा जाने से आंख खराब हो सकती है।
- नोजल पहनें, सिर पर कैप लगाएं और पैरों में जूते जरूर पहनें।
- दोपहर में दवाओं का छिड़काव न करें और जब हवा चल रही तो भी दवाइयों का छिड़काव न करें। सुबह शाम को ही करें क्योंकि दोपहर में मधुमक्खियों का मूवमेंट होता है। इससे आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
- कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में न जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरन्त साफ पानी से कई बार धोना चाहिए।
- बचे हुए कीटनाशक को सुरक्षित भण्डारित कर देना चाहिए। इसके रसायनों को बच्चों, बूढ़ों और पशुओं की पहुंच से दूर रखें।
- कीटनाशकों के खाली डिब्बों को किसी अन्य काम में नहीं लेना चाहिए। उन्हें तोड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए।
- कीटनाशक छिड़कने के बाद छिड़के गए खेत में किसी मनुष्य या जानवरों को नहीं जाने देना चाहिए।
- अगर कीटनाशक गलती से मुंह में चला गया है, तो एक गिलास में गुनगुने पानी में दो चम्मच नमक मिलाकर पीकर उल्टी करनी चाहिए अथवा गुनगुने पानी में साबुन डालकर देना चाहिए।
- अगर किसी व्यक्ति ने कीटनाशक सूंघ लिया हो, तो जल्दी ही उसे खुले स्थान पर ले जाना चाहिए और शरीर के कपड़े ढीले कर देना चाहिए। अगर सांस लेने में समस्या हो रही हो तो पेट के सहारे लिटाकर उसकी बाहों को सामने की और फैला दें और व्यक्ति की पीठ को हल्के-हल्के सहलाते हुए दबाएं और कृत्रिम श्वास भी देनी चाहिए।

कीटनाशक विषाक्तता की संभावना कम करने के उपाय

खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का प्रयोग कम करें। जहाँ तक संभव हो जैविक उत्पादों का प्रयोग करें। उपयोग के पहले हमेशा उत्पाद लेबल पढ़ना सुनिश्चित करें। उत्पाद को इच्छित उपयोग के लिए अनुमोदित किया जाना चाहिए और लेबल निर्देशों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। फलों और सब्जियों को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धोकर साफ करें। यह सतह पर रहने वाले कीटनाशकों को कम करने में मदद कर सकता है। सामान्य घरेलू कीटनाशकों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और जहरीले उत्पादों को कभी भी ऐसे कंटेनरों में न डालें जिनसे खाने या पीने की गलती हो सकती है। जहाँ तक संभव हो अपने घर, रसोई, या किचन गार्डन में कीट प्रबंधन के लिए केमिकल फ्री या कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करें। सिर की जूँ नियंत्रण करने के लिए हानिकारक रसायन का प्रयोग नहीं करें। अपने बच्चे के बाल रोग विशेषज्ञ से बात करें। यदि आप कीटनाशकों के साथ काम करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उन्हें अपने कपड़ों और जूतों पर घर न ले जाएं। कोशिश करें कि घर आने से पहले कपड़े बदलें और जूतों को बाहर निकालकर रखें। बच्चे खाने से पहले अपने हाथ धोएं, खासकर बाहर खेलने के बाद। यदि आप अपने पालतू जानवरों के लिए कीटनाशक लागू करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि जब तक उत्पाद पूरी तरह से सूख न जाए तब तक बच्चों को पालतू जानवरों को छूने से रोकें। कभी भी अवैध कीटनाशकों का प्रयोग न करें। ■

कॉप 27; तैयारी और भागीदारी

पैरवी कॉप 27 से पहले एक चार-एपिसोड की पॉडकास्ट श्रृंखला जारी की गई जिसमें कॉप के इतिहास और कॉप 27 से अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसे पैरवी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। 21 सितंबर 2022 को एडीए और फोरम एशिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के समानांतर, प्रमुख चुनौतियों के बारे में बात करने के लिए पीपुल्स असेंबली का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें पैरवी से अजय झा को जलवायु संकट और कॉप 27 व कॉप 28 से अपेक्षाएं विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया।

लोगों को जलवायु कार्रवाई के केंद्र में रखना

12 नवंबर को सिकोईडिकॉन, मौसम, Gender CC, LATINDAD, ENDA और Ibon International द्वारा कॉप 27 में इस साइड इवेंट का आयोजन किया। साइड इवेंट में 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अजय के झा ने इस कार्यक्रम में सिकोईडिकॉन और मौसम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बताया कि कैसे कॉप समाधान वास्तविक समाधान से दूर जा रहे हैं और लोगों पर संकट बढ़ा रहे हैं।

कार्बन बम - सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन परियोजनाएँ और इसे कैसे निष्क्रिय करें

कॉप 27 में 16 नवंबर को पैरवी ने इस साइड इवेंट का आयोजन Ende Glande, AFFEGO और अन्य भागीदारों के सहयोग से किया। थीम Ende Glande द्वारा सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं पर एक शोध पर आधारित थी, जिसमें तेल और गैस क्षेत्रों के साथ-साथ दुनिया भर में कोयला खदानों सहित 425 परियोजनाएं शामिल थीं, जिनसे 1 गीगाटन से अधिक कार्बन उत्सर्जन होने की संभावना थी। सौम्या दत्ता ने इस साइड इवेंट में पैरवी और मौसम का प्रतिनिधित्व किया।

साइड इवेंट्स के अलावा मौसम/पैरवी प्रतिनिधिमंडल ने कई अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी की। अजय झा ने एपीएमडीडी और भागीदारों द्वारा आयोजित 15वें पीपल्स राइजिंग फॉर क्लाइमेट जस्टिस में भाग लिया। उन्होंने 15 तारीख को नामा बे क्लाइमेट जस्टिस हब में जलवायु उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़ने पर भी बात की। सौम्या दत्ता ने 16 तारीख को फॉल्स सॉल्यूशंस के खिलाफ सामूहिक आयोजन में भाग लिया और उन्होंने कोस्ट बीडी, बांग्लादेश द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की।

राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग और जिला मानवाधिकार न्यायालयों का कामकाज

पैरवी और सेंटर फॉर दलित राइट्स, जयपुर द्वारा 30 नवंबर 2022 को सम्मेलन हॉल, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग और जिला मानवाधिकार न्यायालयों के कामकाज पर मसौदा रिपोर्ट रिलीज की गई और परामर्श का आयोजन किया गया। रिपोर्ट पैरवी के सहयोग से सीडीआर द्वारा तैयार की गई थी। पैरवी के दीनबंधु वत्स ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य, कार्य, शक्ति, अधिकार क्षेत्र, संरचना, कार्यकाल, पहुंच और शिकायत तंत्र और विशेष रूप से दलितों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को साझा किया।

जीवन और संघर्ष: उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर की स्थिति

23 नवंबर 2022 को लखनऊ के गोमती होटल में पैरवी द्वारा स्थानीय संगठन अमलतास के साथ मिलकर परामर्श आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडरों की स्थिति और अधिकारों पर अध्ययन की एक मसौदा रिपोर्ट जारी करने के साथ परामर्श शुरू हुआ। मसौदा रिपोर्ट, जिसे प्रतिभागियों के साथ उनकी टिप्पणियों के लिए साझा किया गया था, में ट्रांसजेंडर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, नालसा निर्णय, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019, उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल, ट्रांसजेंडर के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय की मांगों के साथ ही लखनऊ, वाराणसी और आगरा के ट्रांसजेंडर लोगों की 10 केस स्टडी शामिल हैं। परामर्श में उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री बीरबल शर्मा और श्री एसपी सिंह, जिला ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, लखनऊ के ट्रांसजेंडर सदस्य गुड्डन नायक, वाराणसी की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता जिशानी, डॉ. रुचिता सुजय चौधरी, सहायक प्रोफेसर भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, यादवेन्द्र सिंह दरवेश, समाजसेवी, विजेता सिंह, गुलिस्ता किन्नर एकता ट्रस्ट के अलावा बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर लोगों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

संपादक मंडलः **प्रो. संजय भट्ट, अजय के. झा**
पैरवी के-8, तीसरा तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024 द्वारा सीमित प्रसार के लिए प्रकाशित
संपर्क - फोनः 011-29841266, 46101652 | ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com, info@pairvi.org | वैबसाइटः www.pairvi.org